न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 53 / 2023

अनवान : –

1. हनुमान पुत्र हीराराम जाति मेघवाल साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दलीप पुत्र हीराराम जाति मेघवाल साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
2. सिलोचना पत्नी स्व0 सन्तलाल जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
3. मुकेश कुमार पुत्र स्व0 सन्तलाल जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
4. इन्द्रपाल पुत्र स्व0 सन्तलाल जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
5. ईश्वरसिह पुत्र स्व0 सन्तलाल जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
6. भागी देवी पत्नी स्व0 हीरालाल जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 12/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 198 / 197 की कुल 5.3490 हैक्ट भूमि हीराराम पुत्र लेखुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हीराराम पुत्र लेखुराम के नाम दर्ज है जो की वादी का पिता है। हीराराम पुत्र लेखुराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिस पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की हीराराम पुत्र लेखुराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 अपने हक हिस्सा अनुसार काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 6 ने राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश कियाज ाकर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 5 ईश्वरसिंह फौत हो चुका है ईश्वर सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 पहले से दावा में मौजूद है। वादी ने 151 सीपीसी पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रतिवादीगण संख्या 5 अविवाहित फौत हो चुका है ईश्वरसिंह के जायज वारिस प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 है इसलिए दावा की इस्तदुआ में बदलाव हो चुका है अत रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 198/197 की कुल 5.3940 हैक्ट भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि का वादी को तथा 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को एवं 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 151 सीपीस स्वीकार किये गये। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र ईश्वरसिंह व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल पत्रावली किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता हीराराम पुत्र लेखुराम के नाम दर्ज है। हीराराम पुत्र लेखुराम का देहान्त हो चुका है तथा हीराराम पुत्र लेखुराम के एक पौत्र ईश्वर सिंह पुत्र स्व0 संतलाल का भी देहान्त हो चुका है। हीराराम पुत्र लेखुराम के देहान्त के बाद उक्त वाद भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 6 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण ... गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में ... मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 198/197 की ... भूमि हीराराम पुत्र लेखुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि हीराराम पुत्र लेखुराम का देहान्त हो चुका है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हीराराम पुत्र लेखुराम के एक पुत्र संतलाल एवं संतलाल के पुत्र ईश्वरसिंह का भी देहान्त हो चुका है। मृतक हीराराम पुत्र लेखुराम के नाम दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व प्रतिवादीया 6 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के उक्त कथनों को स्वीकार करते हुए पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार हीराराम पुत्र लेखुराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 198/197 की कुल 5.3490 हैक्ट भूमि हीराराम पुत्र लेखुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक हीराराम पुत्र लेखुराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि का वादी को तथा 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को एवं 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/02/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:03:01 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 53/2023

अनवान : –

1. हनुमान पुत्र हीराराम जाति मेघवाल साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. दलीप पुत्र हीराराम जाति मेघवाल साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
2. सिलोचना पत्नी स्व0 सन्तलाल जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
3. मुकेश कुमार पुत्र स्व0 सन्तलाल जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
4. इन्द्रपाल पुत्र स्व0 सन्तलाल जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
5. ईश्वरसिह पुत्र स्व0 सन्तलाल जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर–फौत।
6. भागी देवी पत्नी स्व0 हीरालाल जाति मेघवाल निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 53 सन 2023 निर्णय दिनांक 12/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रायसिंहपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 198/197 की कुल 5.3490 हैक्ट भूमि हीराराम पुत्र लेखुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक हीराराम पुत्र लेखुराम का नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि का वादी को तथा 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को एवं 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:03:01 IST
Reason: SelfAttested